विचार बिन्दु

गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। की हुई गलती को मान लेना और इस प्रकार आचरण करना कि फिर गलती न हो, मर्दानगी है। –महात्मा गाँधी

विरोध में अवरोध क्यों?

माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक निर्णय दिया है, जिसके द्वारा नक्सल क्षेत्र दंतेवाड़ा में लंबे समय से काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार की याचिका को न केवल खारिज किया गया, अपितु उन पर पाँच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। हिमांशु कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने सच बोला है और आदिवासियों के हित में सच बोलने के लिए यदि जेल भी जाना पड़े तो वह जेल जाएंगे, किंतु जुर्माना नहीं भरेंगे। उन्होंने गांधीजी का उदाहरण दिया और कहा कि उन्होंने भी जुर्माना भरने के स्थान पर जेल जाना मंजूर किया था।

इस प्रकरण के तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। वर्ष 2009 में दांतेवाड़ा में 17 आदिवासियों की हत्या हुई थी। इसके लिए सरकार ने नक्सलियों को दोषी माना था। हिमांशु कुमार ने इसका विरोध किया और एक याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर की कि इस हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराई जाए। उनका कहना था कि आदिवासियों की हत्या नक्सलियों के द्वारा नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा की गई थी।

उनकी इस याचिका के बाद उन्हें धमकियां दी गईं जिसके कारण उन्हें परिवार सहित दांतेवाड़ा छोड़ना पड़ा था। न्यायालय ने पूरा रिकॉर्ड देखने और सुनवाई करने के बाद यह माना कि हत्या के लिए जिम्मेदार वास्तव में नक्सली ही थे। न्यायालय ने न केवल हिमांशु कुमार की याचिका को खारिज किया, अपितु उन पर नक्सलियों की सहायता करने का आरोप भी लगाया और कहा कि उन पर जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है ताकि इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

वर्ष 2002 के गुजरात दंगों में सांसद एहसान जाफरी की हत्या के मामले की दुबारा जांच करवाने हेतु उनकी पत्नी जाकिया जाफरी की ओर से तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा दायर की गई याचिका को भी उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किया गया एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई। न केवल यह, तीस्ता सीतलवाड़ पर सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने हेतु उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए गुजरात सरकार को निर्देश दिए। इसके आधार पर गुजरात पुलिस ने अगले ही दिन तीस्ता सीतलवाड़ और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक श्रीकुमार को गिरफ्तार कर लिया।

ये उदाहरण हैं, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की, सरकारों के विरुद्ध न्याय मांगने हेतु दायर याचिकाओं को न केवल न्यायालय द्वारा खारिज किया गया अपितु इस प्रकार के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश देकर सबक सिखाया है।

न्यायालयों के हाल के इन निर्णयों से एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्या देश में सरकार की नीतियों के विरुद्ध या सरकारी तंत्र की कार्यवाही के विरुद्ध आवाज उठाने पर या उसका विरोध करने पर उसे दंड भोगना होगा?

विरोध का दमन पहले भी विभिन्न तरीके अपनाकर सभी सरकारें करती रही हैं, किंतु अब न्यायालय के हाल के निर्णयों से सरकार की इस प्रवृत्ति को और बल मिलेगा। विरोध की स्वतंत्रता, प्रजातंत्र की आत्मा है। सरकार और राज्य में अंतर करना होगा। कई बार सरकार के निर्णय जनविरोधी हो सकते हैं, विशेषकर अमीर और प्रभावशाली पूंजीपतियों का हित साधने के लिए। देश के कमजोर वर्ग जैसे दलित, महिला, आदिवासी, गरीब, अल्पसंख्यक सामान्यतया सरकार के दमन का प्रतिकार करने में सक्षम नहीं होते। इनकी सहायता के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन दांव पर लगाकर इनके मध्य ही रहकर इन के लिए कार्य करते हैं। सामान्यतया इनके कार्य को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार का उद्देश्य भी जनहित में कार्य करना होता है। दुर्भाग्यवश कई बार सरकारें, अपने निर्णय के विरोध को राष्ट्र का विरोध तक मान लेती हैं।

अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता एवं संस्थाएं तो इस प्रकार की प्रताड़ना और दमनकारी प्रवृत्ति को सहन करने की शक्ति नहीं रखते एवं न इनका सामना कर सकते हैं। इसी कारण धीरे-धीरे, विरोध के स्वर उठना बंद हो जाते हैं। विरले ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जोखिम उठाकर अपने काम को जारी रखते हैं। सामान्यतया, सरकार द्वारा उनकी बात न माने जाने पर, वे विभिन्न न्यायालयों में अपनी बात को ले कर गए हैं एवं कई मामलों में न्यायालयों ने इनको न केवल संरक्षण प्रदान किया अपितु उनकी याचिकाओं को गुणवत्ता के आधार पर देखते हुए सरकारों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश भी प्रदान किए। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम आशा का केन्द्र रहे हैं। इनकी याचिकाओं को कई बार सही नहीं माना गया और इसलिए उन्हें अस्वीकार किया गया किन्तु इनकी याचिका कर्ता की नीयत पर सवाल नहीं उठाए गए, इनके विरुद्ध जुर्माना लगाना या दंडात्मक कार्यवाही करना तो दूर की बात है।

संसद की गरिमा और सार्थकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद अपनी बात पूरे जोर-शोर से कहें एवं गरिमा को बनाए रखें। सरकार को, विशेषकर, सत्ताधारी दल को, किसी भी प्रकार के विरोध के स्वर को खुले दिमाग से सुनना चाहिए और यदि उसमें कोई सही बात कही जाए तो उस पर विचार करने की उदारता बरतनी चाहिए।

कई बार तो केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों या एक पोस्टकार्ड को ही जनहित याचिका मानकर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने संज्ञान लेकर आमजन के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किए हैं। यदि सरकार अपने विरोध को कुचलने का काम करे और सामाजिक कार्यकर्ता और संस्थाएं यह बात न्यायालयों के संज्ञान में लाएं और उनसे यह अपेक्षा करें कि वे उनकी सहायता करें, तो गलत नहीं है। वंचित वर्ग जो सरकार का मुकाबला करने में असमर्थ हैं, उन्हें न्यायालय का समर्थन प्राप्त होना अपेक्षित है।

वैसे भी, नागरिक और सरकार की बराबरी नहीं की जा सकती। सरकारें अधिकांशतः अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपने अधीन विभिन्न विभागों और एजेंसीज का उपयोग, विरोध के स्वरों को दबाने के लिए करती आई हैं। ऐसी स्थिति में, न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को संरक्षण प्रदान किया है एवं वंचित वर्ग के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। ऐसे निर्णय से कई बार सरकारों को शर्मिन्दा भी होना प़डा है।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका से यही अपेक्षा रहती है कि वह सामान्य नागरिक के संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करे। हाल ही में सरकार द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं जिनसे ऐसा लगता है कि सरकार को अपनी किसी भी बात का विरोध सुनना कतई पसंद नहीं है। एक स्वस्थ प्रजातंत्र में विभिन्न विचार धाराओं का होना गलत नहीं है। एक प्रकार से, यह सही निर्णय लेने की प्रक्रिया को पुष्ट ही करता है।

अभी हाल ही में लोकसभा द्वारा एक ऐसे शब्दों की सूची जारी की गई है जिन्हें असंसदीय मानते हुए उन्हें संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया। इसी प्रकाश में, सांसदों से अपेक्षा की गई है कि वे इन शब्दों का उपयोग भविष्य में न करें। इनमें से अधिकांश शब्द ऐसे हैं जो नित्य प्रति की सामान्य बोलचाल में काम में लिए जाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग अब तक असंसदीय नहीं माना गया। उदाहरण के लिए, 'भ्रष्टाचार', 'पाखंड', 'गद्दार', 'जुमला', 'विश्वासघात', 'मगरमच्छ के आंसू' जैसे शब्दों के बिना कोई भी विपक्ष किस प्रकार सरकार के कामों की आलोचना कर सकता है? सरकार के कामों में गलतियाँ निकालकर उनकी आलोचना करना न केवल सांसदों का अधिकार है अपितु उनका दायित्व भी है। जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण हो रहा है तो इन शब्दों को जनता एक बार तो सुन ही लेगी, फिर इन्हें कार्यवाही से निकालने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ समय बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के सीधे प्रसारण पर ही रोक लगा दी जाय।

यदि न्यायालयों द्वारा इसी प्रकार के निर्णय होते रहे, तो संभवतः नागरिक के पास अपने अधिकारों की रक्षा करने का यह अंतिम तरीका भी नहीं रहेगा। यदि ऐसा हुआ तो वह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए घातक होगा और फिर सरकार द्वारा मनमाने निर्णय लिए जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार से आम नागरिक यह अपेक्षा करता है कि उसे सरकार के निर्णयों की विवेचना करने, विश्लेषण करने एवं अपने विवेक के अनुसार उसका विरोध करने की स्वतंत्रता हो। विरोध करने का तरीका कुछ भी हो सकता है जैसे प्रदर्शन, लेख लिखना, संवाद आदि। इसके अतिरिक्त, पीड़ित व्यक्तियों को संगठित कर सामूहिक रूप से प्रदर्शन करना भी हो सकता है। ये सब लोकतंत्र के आवश्यक अंग हैं। यदि इन पर ही प्रतिबंध लगना प्रारंभ हो गया तो फिर हम धीरे-धीरे 'तानाशाही' की ओर बढ़ने लगेंगे। वैसे भी हाल ही में घोषित सूची में 'तानाशाह' शब्द को भी असंसदीय घोषित कर दिया है।

आने वाले समय में विपक्ष के सांसद अपने भाषण, प्रतिबंधित शब्दों को काम में लिए बिना किस प्रकार देंगे, यह देखना रोचक होगा। भाषा की समृद्धि के कारण संभव है, कुछ मेहनत करने वाले सांसद, इनके कई पर्यायवाची शब्द ढूंढ लेंगे जो प्रतिबंधित नहीं हैं।

संसद की गरिमा और सार्थकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद अपनी बात पूरे जोर-शोर से कहें एवं गरिमा को बनाए रखें। सरकार को, विशेषकर, सत्ताधारी दल को, किसी भी प्रकार के विरोध के स्वर को खुले दिमाग से सुनना चाहिए और यदि उसमें कोई सही बात कही जाए तो उस पर विचार करने की उदारता बरतनी चाहिए। इसमें सत्ता का अहंकार आड़े नहीं आना चाहिये। जब किसी भी विषय पर संपूर्ण दृष्टिकोणों से विचार होगा तो उसके संबंध में निर्णय भी अधिक तार्किक एवं जनहितकारी होने की संभावना रहेगी।

सरकार से अपेक्षा है कि वह विरोध के रास्ते में 'अवरोध' उत्पन्न करना बंद करे एवं विरोध को सकारात्मक दृष्टि से ले। विरोधियों द्वारा उठाए गए बिंदुओं को बिना बचाव की मुद्रा में आए और बिना अहम का भाव लिए उन पर खुले दिमाग से विचार करें। यदि आवश्यक हो तो अपने द्वारा लिए गए निर्णय में आवश्यक संशोधन भी करे। ऐसा होने पर ही हम जनतंत्र की भावना को और अधिक मजबूत कर पाएंगे और देश के नागरिकों के हित संवर्धन का काम कर पाएंगे।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

राजनीति की धूर्त चाल है धर्मांतरण

उसका नाम था निकोला मिचेल क्रिक और उसका जन्म फ्रांस के लॉरेन शहर के एक साधारण मेहनतकश परिवार में हुआ था। जब वह सात वर्ष का था तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। अकेलेपन के शिकार इस युवक ने ख़ुद को क्रिश्चियन धर्म की कैथोलिक शाखा के प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिया। यह समय का वह दौर था जब चीन और तिब्बत पर मिंग परिवार सत्तारूढ़ था। मिंग लोगों ने ईसाई मिशनरी लोगों को चीन में रहने और अपने धर्म के बारे में बताने की आजादी दे रखी थी। परंतु शीघ्र ही मिंग राजशाही को हरा कर मंचू सम्राट सत्ता में आ गए और सारे ईसाई मिशनरी लोगों को देश से निकाल सन् 1724 में वहां ईसाइयत को गैर कानूनी घोषित कर दिया।

दूसरी तरफ 19वीं सदी में ब्रिटेन एशिया के दूसरे भागों में शक्तिशाली हो गया और भारत में अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए ईसाई मिशनरी लोगों के द्वारा धर्मांतरण को बढ़ावा देने लगा। उनसे पहले मुगल तथा अन्य इस्लामी बादशाह भी यही किया करते थे। इन लोगों का उद्देश्य धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। बड़ी आबादी, असंख्य भाषाओं, बोलियों, परंपराओं और कितनी ही तरह के लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए धर्म ही सबसे प्रभावकारी हथियार था वरना इस भूभाग पर शासन संभव ही नहीं था। हर जगह अपने लोग होने से ही नियंत्रण बना रह सकता था।

निकोला क्रिक बहुत प्रयासों के बाद भी तिब्बत नहीं पहुंच सका और अपने एक साथी धर्म प्रचारक के साथ आज के अरुणाचल में एक कबीले के सरदार द्वारा मारा गया हालांकि यह कभी भी प्रमाणित नहीं हो पाया कि उस सरदार ने ही उसकी हत्या की थी। अब निकोला को संत बनाने के प्रयास जारी हैं।

सवाल उठता है कि फ्रांस ने अपना आदमी इतनी दूर क्यों भेजा और उसके प्रबल प्रतिद्वंद्वी अंग्रेजों ने क्यों उनका साथ दिया? जवाब आसान है। धर्म सिर्फ बातों में ही सत्य की यात्रा है, व्यवहार में तो यह महज एक सत्तापोषक साधन है। हर काल में, हर समूह ने धर्म को सत्ता की एक सीढ़ी

डॉ रामावतार शर्मा

मात्र मान कर उसका दुरुपयोग किया है फिर चाहे धरती का कोई भी धर्म क्यों न हो।

दूसरी तरफ धर्म से जुड़े लोगों ने भी राजनीतिक जुड़ाव के चलते बड़े आर्थिक लाभ कमाए हैं। धर्म के उपदेश देकर बड़ी संपति अर्जित करना, धर्म के नाम पर उद्योग व्यापार चलाना आदि क्या कुछ नहीं होता है? आलीशान चर्च, विशाल मस्जिदें और शिल्पकला के मनमोहक उदाहरण मंदिर। धार्मिक संवादों में बातें तो सदा सादगी, जीव सेवा, प्रेम मोहब्बत जैसे सिद्धांतों की होती हैं पर वास्तविक बात तो वह है जो निदा फाजली ने कही है :–

बच्चा बोला देख कर, मस्जिद आलीशान
अल्लाह! तेरे एक को इतना बड़ा मकान!

- **धर्मांतरण व्यक्ति को एक परोक्ष दासता की तरफ धकेलता है**

धर्म के नाम पर सत्ता प्राप्त तो की जा सकती है पर उसमें स्थायित्व नहीं आता और समय के साथ सब कुछ बिखर जाता है। हमारे पड़ोसी श्रीलंका और पाकिस्तान इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा रहे, उस पर गर्व करे यह उसका पूर्ण अधिकार है और इस बात का हर किसी को सम्मान करना चाहिए। पर जीवन सिर्फ धार्मिक होने मात्र से तो नहीं चलता। अच्छे सरकारी स्कूल, कॉलेज हों, सरकारी डिस्पेंसरी और अस्पताल हों, निर्धारित शुल्क जमा करवाने के बाद सरकारी कार्य समयबद्ध तरीके से हों। न्यायोचित काम के लिए क्यों रिश्वत देनी पड़े? जिस देश में मृत्यु प्रमाणपत्र तक बिना रिश्वत के नहीं मिलता है वह देश जब रात दिन धर्म की बातें करता है तो विचित्र-सा नहीं लगता है? धर्म का अर्थ आत्मा का जागृत होना है, झूठे दंभ का पोषण नहीं।

वैश्विक उदाहरण देखें तो धर्मांतरण व्यक्ति को एक परोक्ष दासता की तरफ धकेलता है। यह शक्तिशाली लोगों का वह हथियार है जो बृहद मानव जनसंख्या को भेड़ की मानसिकता में बदलता है। धर्म उसके मर्म को जानने पर समझ में आता है पर लोग महज सांकेतिक धर्म के पीछे पगलाए रहते हैं। सदियों पहले संत कबीर ने एक बात कही थी जो आज भी उतनी ही सार्थक है:–

ज्यों गूंगे की सैन को, गूंगा ही पहिचान
त्यों ज्ञानी के सुक्ख को, ज्ञानी होय सो जान।।

डॉ रामावतार शर्मा,
चिकित्सक एवं लेखक

मोक्षधाम के आम रास्ते पर जलभराव से परेशानी, ग्रामीणों ने रोकी शव यात्रा

भुसावर, (निसं)। उपखण्ड भुसावर के गांव दीवली स्थित मोक्षधाम तक जाने के लिए रास्ता नहीं होने के कारण अन्तिम संस्कार के लिए जा रहे ग्रामीण मृतक के शव को रास्ते में लेकर बैठ गये। जिसकी जानकारी

- **प्रशासन ने एक दो दिन में ही रास्ते को सही करने का आश्वासन दिया**
- **शव को रास्ते में रख रास्ता पक्का करने को लेकर की मांग, प्रशासन ने पहुंचकर की समझाइश**

जानकारी मिलते ही पटवारी एवं गिरदावल ने पहुंचकर जानकारी ली और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया।

वहीं मोक्षधाम तक जाने के लिए बनाये गये आम रास्ते पर हो रहे

आरोपियों से समझाइश करते पुलिस अधिकारी।

अतिक्रमण एवं कीचड के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करने की बात ग्रामीणों द्वारा कही गयी। मिली जानकारी के अनुसार गांव के बुजुर्ग अच्छू मीणा के हुए देहान्त के बाद उनके अन्तिम संस्कार को जा रहे ग्रामीण जैसे ही मोक्षधाम के रास्ते पर पहुंचे तो मुख्य रास्ते जलमग्न मिला।

जिस पर तुरन्त ग्रामीणों ने अन्तिम यात्रा को रोक मृतक के शव को रास्ते में ही रख दिया और रास्ता आतिक्रमण मुक्त करवाते हुए पक्का बनवाने की मांग पर अड़ गये। जिसकी जानकारी मिलते ही तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार, थानाधिकारी मदनलाल मीणा सहित पटवारी एवं गिरदावर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश शुरू कर दी। जहां प्रशासन ने एक दो दिन में ही रास्ते को सही करने का आश्वासन देने के बाद ग्रामीण माने और मृतक के शव को अन्तिम संस्कार के लिए मोक्षधाम लेकर गये।

सिंघाना के भिर्र गांव की दीक्षा मान दिखेगी बड़े पर्दे पर

बुहाना, (निसं)। झुंझुनूं के बुहाना तहसील का फौजियों का गावं भिर्र की बेटी दीक्षा मान अब महिला सशक्तिकरण का मजबूत संदेश देने वाली फिल्म 'नार का सुर' के मुख्य किरदार में नजर आएगी। इस फिल्म का निर्देशन कुलदीप कौशिक ने किया है। यह फिल्म पांच अगस्त से दिल्ली और यूपी के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। जल्द ही राजस्थान के सिनेमाघरों में भी प्रर्दशित किया जाएगा। आपको बता दे की फिल्म 'नार का सुर' की कहानी उन 12 महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जो देश में न्याय पाने के लिए संघर्ष करती हैं। बता दें कि फिल्म में लीड़ रोल में दिखाई देने वाली दीक्षा मान बुहाना के भिर्र गांव की रहने वाली हैं। उसका परिवार फिलहाल सिंघाना रहता हैं। उसके पिता गोपीचंद मान की बैटरी की दुकान हैं। जबकि उसकी मां सरिता देवी एलआईसी एजेंट हैं। दीक्षा ने कॉपर के सोफिया सेकेंडरी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उसे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर में कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में बीटेक किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, वह जयपुर चली गईं। जहाँ उन्होंने रवींद्र मंच, जयपुर में थिएटर का अभ्यास

फिल्म कलाकार दिशा मान ।

करना शुरू किया। 2017 में दीक्षा को मुंबई विश्वविद्यालय के थिएटर आर्ट्स अकादमी में थिएटर आर्ट्स में मास्टर के लिए चुना गया था। 2019 में एक अभिनेत्री के रूप में फिल्म उद्योग में काम किया। दीक्षा ने कई टीवी विज्ञापनों जैसे कैंडेयर, शुगर, भारत मैट्रिमोनी, जिवामे, होंडा, वेदांता आदि के लिए भी कार्य किया। बातचीत में दीक्षा मान ने बताया कि इस फिल्म में महिला सशक्तिकरण का यह मजबूत संदेश होगा कि महिलाएं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को बखूबी पार कर सकती हैं।

खेत पर जाने के रास्ते पर दबंग ने किया अतिक्रमण,न्याय के लिए भटक रहा दिव्यांग

फागी, (निसं)। उपखंड क्षेत्र की माधोराजपुरा पंचायत समिति की भांकरोटा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आबादी में बसी मालियों की ढाणी के पीछे खसरा नंबर 801, 802, 803 व 804 के खेतों में आने जाने वाले रास्ते पर एक प्रभावशाली व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है। जिस को हटाने के लिए भांकरोटा में निवास कर रहे एक विकलांग रामस्वरूप खाती ने ग्राम पंचायत प्रशासन, पंचायत समिति, तहसील प्रशासन से लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय तक कई बार लिखित व मौखिक में गुहार लगाई, लेकिन अभी तक पीड़ित विकलांग रामस्वरूप के खेत में आने जाने के रास्ते पर कर रखे अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है।

जिससे पीड़ित विकलांग रामस्वरूप को अपने खेत में जाने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। थक हार कर पीड़ित विकलांग रामस्वरूप खाती ने जिला कलेक्टर जयपुर के न्याय की गुहार लगाते हुए खेत में आने जाने, व खेत

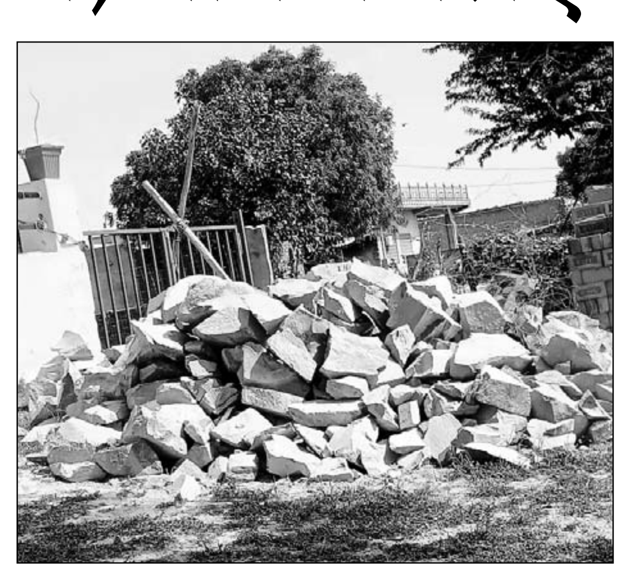

भांकरोटा पंचायत मुख्यालय पर स्थित मालियों की ढाणी के पिछवाड़े में खेत के रास्ते पर पत्थर डालकर अतिक्रमण करते हुए दबंग लोग।

में बुवाई एवम् अन्य कार्य करने में आने वाली परेशानी बताई । जिला कलेक्टर ने विकास अधिकारी माधोराजपुरा को मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे । जिस पर विकास अधिकारी ने पंचायत प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के आदेश देकर

- **जिला कलेक्टर के आदेशों पर हो रही लीपा-पोती**
- **मौके पर से आज तक नहीं हटवाया अतिक्रमण, धरने पर बैठने की चेतावनी**
- **कलेक्टर द्वारा विकास अधिकारी से रिपोर्ट मांगने पर उन्होंने पंचाायत प्रशासन को दिए सिर्फ निर्देश**

इतिश्री कर ली गई है। जिस आदेश की पालना आज दिन तक पंचायत प्रशासन ने नहीं की।

अपने न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर पीड़ित विकलांग को प्रशासन से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है । इस संबंध में पीड़ित विकलांग रामस्वरूप खाती ने बताया कि प्रशासन कलेक्टर के आदेश की पालना नहीं करते हुए मात्र लीपापोती करने में लगा हुआ है।

पंचायत प्रशासन मौके पर पहुंच कर अतिक्रमण की मौका रिपोर्ट बनाकर ही इतिश्री कर ली गई है। पीड़ित विकलांग रामस्वरूप ने प्रशासन पर लीपापोती करने व जिला कलेक्टर जयपुर की निर्देशों को रद्दी की टोकरी में फेंकने का आरोप लगाया। 67 वर्षीय रामस्वरूप जांगिड़ शारीरिक रूप से विकलांग है और उसने व उसके परिवार जनों ने प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। इस संबंध में माधोराजपुरा विकास अधिकारी से फोन पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया परंतु विकास अधिकारी ने फोन रिसीव नहीं किया । इस संबंध में ग्राम पंचायत भांकरोटा के ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि पटवारी की रिपोर्ट में आबादी में से कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी जिस रास्ते की बात कर रहा है वह तीन भाइयों का सामलाती रास्ता है। खेत का रास्ता सहखातेदारी में से ही मिल पाएगा ।

राशिफल मंगलवार 19 जुलाई, 2022

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2079, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दिन 12:12 तक, अतिगंड योग दिन 1:43 तक, वणिज करण प्रातः 7:50 तक, चन्द्रमा मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मेष, बुध-कर्क, गुरू-मीन, शुक्र-मिथुन, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 12:12 तक है। रवियोग दिन 12:12 तक है। राजयोग प्रातः 7:50 से दिन 12:12 तक है। भद्रा प्रातः 7:50 से सांय 7:43 तक है। आज मंगला गौरी पूजा, शीतला सप्तमी, पंचक है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर 9:11 से 10:12 तक, लाभ-अमृत 10:52 से 2:14 तक, शुभ 3:55 से 5:37 तक।

राहूकालः 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:48, सूर्यास्त 7:18

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। घर-गृहस्थी की समस्या के कारण मन में असंतोष बना रहेगा। पारिवारिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

वृष
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कर्क
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

सिंह
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कन्या
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

धनु
परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मकर
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

कुंभ
व्यावसायिक प्रयासों में सार्थक/उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।

मीन
मनःस्थिति में सुधार होगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है।